कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
पी0एम0जी0एस0वाई, सिं0ख0, पुरोला (उत्तरकाशी)
Office of the Executive Engineer PMGSY, I.D. Purola (Uttarkashi)
E-Mail : eepmgsypurola@rediffmail.com Tel.No. : 01373-223730

पत्रांक– 795 / पी0एम0जी0एस0वाई0 / सि0ख0 / दिनांक 07 / 08 / 2020

सेवामें,

उपजिलाधिकारी महोदय,
पुरोला।

विषयः– **प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत जनपद उत्तरकाशी विकास खण्ड मोरी में सौड़ से ओसला मोटर मार्ग लम्बाई (किमी0 28.100) में क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु दोगुनी भूमि 44.433 हे0 भूमि चयन के सम्बन्ध में।**

सन्दर्भः– **आपका पत्रांक संख्या– 457 / आ0ले0–वृक्षा0 पत्रा / 2019 दिनांक 29.11.2019**

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र के क्रम में अवगत कराना है कि पी0एम0जी0एस0वाई0 के अन्तर्गत सौड़ से ओसला मोटर मार्ग स्वीकृत है, जिस हेतु क्षतिपूरक वृक्षारोपण के लिये दोगुनी सिविल सोयम भूमि की आवश्यकता पड़ रही है। जिस क्रम में आपके पत्रांक संख्या– 457 / आ0ले0–वृक्षा0 पत्रा / 2019 दिनांक 29.11.2019 द्वारा 37.208 हे0 सिविल सोयम भूमि का चयन किया गया है। के क्रम में अगवत कराना है कि उक्त मोटर मार्ग निर्माण हेतु दोगुनी भूमि 44.433 हे0 की आवश्यकता पड़ रही है, जो कि त्रुटिवश 44.433 हे0 के स्थान पर 37.208 हे0 अंकित हुयी है।

अतः आपसे अनुरोध है कि क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु 37.208 हे0 के स्थान पर 44.433 हे0 सिविल सोयम भूमि को चयन करने हेतु सम्बन्धित उप निरीक्षक / तहसीलदार को आदेशित करने की कृपा करें।

तहसीलदार मोरी

नियमानुसार जाँच कर आख्या दें

11.8.20
SDM

अधिशासी अभियन्ता
पी0एम0जी0एस0वाई0, सिं0ख0
पुरोला (उत्तरकाशी)

Recd
14/8/20

प्रमाण पत्र–(Mou/Aggrement)

प्रमाणित किया जाता है कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत विकास खण्ड मोरी में सौड़ से ओसला मोटर मार्ग लम्बाई 28.100 किमी0 हेतु दोगुनी भूमि क्षतिपूरक हेतु चिन्हित की गयी भूमि का कुल रकवा 44.433 है0 है, जिस पर केवल उत्तराखण्ड सरकार (राजस्व विभाग) का स्वामित्व है। जिसमें जनहित में क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु उपयोग किये जाने में कोई आपत्ति नहीं है। यह प्रमाण पत्र तहसीलदार मोरी की जांच आख्या के आधार पर निर्गत किया जा रहा है।

02.9.20

उपजिलाधिकारी
पुरोला।